10
अध्याय

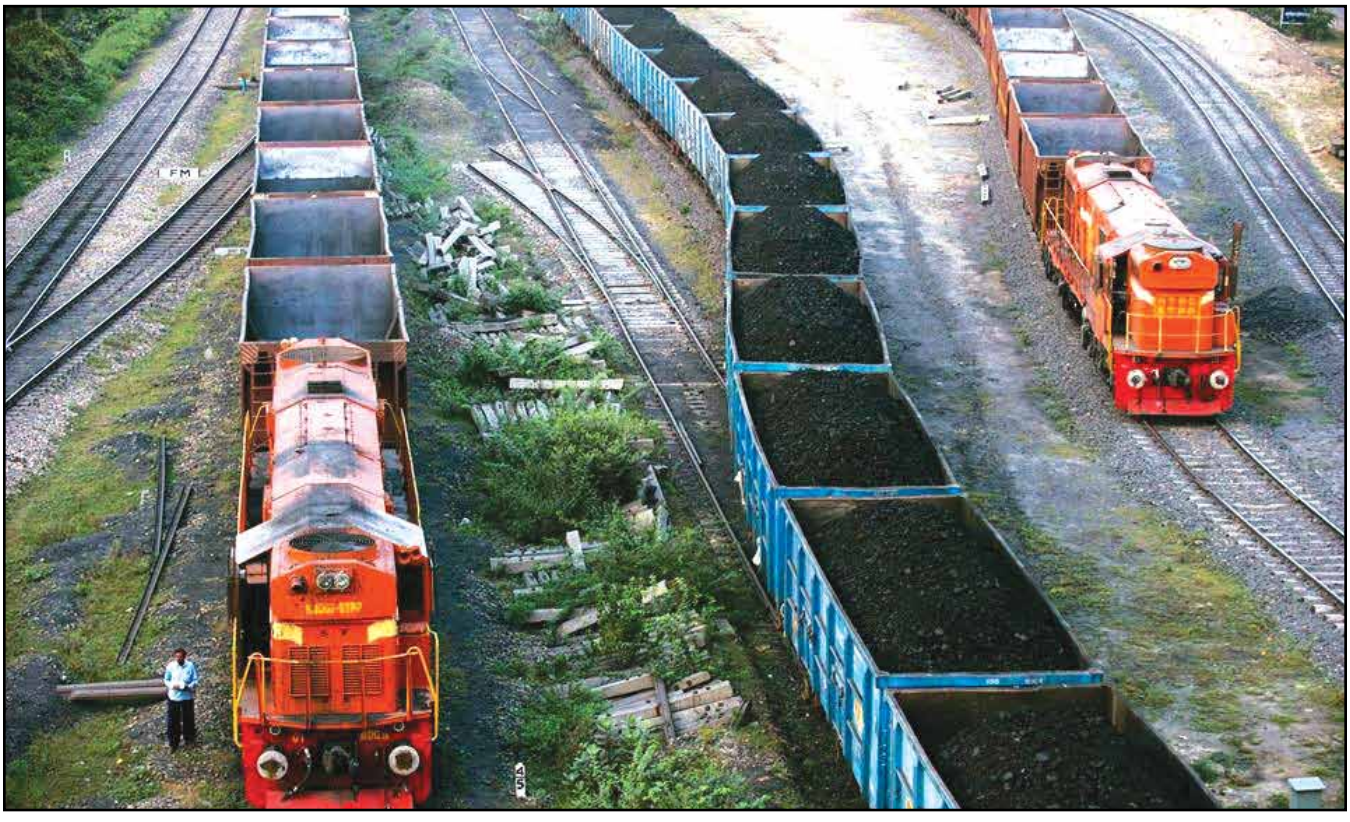

कोयला वितरण एवं विपणन

कोयला वितरण एवं विपणन

1. विद्युत, सीमेंट तथा इस्पात संयंत्रों को कोयले का आबंटन

इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल का आबंटन इससे पहले कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाता था। तथापि, कोकिंग कोल को नियंत्रण मुक्त करने के बाद कोयला कंपनियों द्वारा कच्चे कोकिंग कोल और वॉश्ड कोकिंग कोल की आपूर्ति सरकारी इस्पात संयंत्रों को उनकी मौजूदा एमओयू वचनबद्धताओं के आधार पर की जारी है। लिंकेज़ नीलामी को शुरू करने के बाद कच्चे कोकिंग कोल का आवंटन लिंकेज़ नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है।

2. कोल इंडिया लिमिटेड से क्षेत्र–वार कोयले का उठान (अनंतिम)

वर्ष 2021–22 (जनवरी, 2021 से नवंबर, 2021 तक) की अवधि के दौरान सीआईएल से क्षेत्र–वार कोयले का उठान निम्नानुसार है:–

(मि. टन में)

क्षेत्र	एएपी लक्षित उठान	वास्तविक उठान	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति%
इस्पात*	9.7	4.2	43
विद्युत (उपयोगिताएं) **	495.8	467.5	94
कैप्टिव पावर***	45.1	33.8	75
सीमेंट	5.6	3.3	59
स्पांज आयरन	12.1	6.9	58
अन्य	100.7	70.2	70
कुल प्रेषण	668.9	585.8	88
कोलियरी खपत	0.2	0.2	98
योग	**669.1**	**586.0**	**88**

*: इसमें वाशरियों को दिया गया कोकिंग कोल, तथा इस्पात संयंत्रों को की गई प्रत्यक्ष तथा मिश्रित आपूर्ति शामिल है।

**: इसमें परिष्करण तथा विद्युत को विशेष फारवर्ड ई–नीलामी के लिए वॉशरी और बीना डिशेलिंग संयंत्र को दिया गया नान कोकिंग कोयला शामिल है।

***: कैप्टिव पावर जिसमें उर्वरक क्षेत्र को प्रेषण शामिल है।

3. एससीसीएल से क्षेत्र–वार कोयले का उठान:

वर्ष 2021 के दौरान एससीसीएल से क्षेत्र–वार कोयले का उठान निम्नानुसार है:–

(मि. टन में)

क्षेत्र	एएपी लक्षित उठान (अप्रैल 21 से मार्च 22)	वास्तविक उठान (अप्रैल–नवंबर, 2021)	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति %
विद्युत (यूटिलिटी)	56.000	35.334	63.10
विद्युत (सीपीपी)	3.506	1.984	56.58
सीमेंट	3.161	1.925	60.89
स्पंज आयरन/सीडीआई	0.301	0.114	37.84
अन्य	5.030	3.122	62.06
योग: एससीसीएल	**68.000**	**42.479**	**62.47**

4. विद्युत गृहः

कोल इंडिया लिमिटेड

सीआईएल से जनवरी, 2021 – नवंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले का उठान 467.5 मि. टन था। कच्चे कोयले के प्रेषण में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 14.8% की वृद्धि के साथ लगभग 60.3 मि. टन की बढ़ोतरी हुई।

एससीसीएल

तापीय विद्युत स्टेशनों के लिए कोयले का वास्तविक उठान जनवरी, 20 से नवंबर, 20 के दौरान 35.97 मि.ट. की तुलना में जनवरी, 21 से नवंबर, 21 के दौरान 49.36 मि.ट. हो गया है।

5. सीमेंट संयंत्रः

कोल इंडिया लिमिटेड

जनवरी, 2021 से नवंबर, 2021 की अवधि के दौरान सीआईएल से सीमेंट संयंत्रों को प्रेषण पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 4.4 मि. टन की तुलना में 3.3 मि. टन (अनंतिम) था। गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रेषण में 25% की कमी के साथ 1.1 मि. टन तक कमी हुई है।

एससीसीएल

सीमेंट संयंत्रों द्वारा कोयले का वास्तविक उठान जनवरी, 20 से नवंबर, 20 के दौरान 1.50 मि.ट. की तुलना में जनवरी, 21 से नवंबर, 21 के दौरान 2.73 मि.ट. हो गया।

6. लघु, मध्यम तथा अन्य उपभोक्ताओं को कोयले का वितरणः

लघु, मध्यम तथा अन्य उपभोक्ताओं (जिनकी आवश्यकता प्रति वर्ष 10,000 टन से कम है) को कोयले की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट एजेंसियों को आबंटन हेतु सीआईएल द्वारा 8 मि. टन मात्रा निर्धारित की गई है। 31 दिसम्बर, 2021 तक, 12 राज्यों में वर्ष 2021–22 के लिए 6.34 मि.ट. की मात्रा हेतु 19 एसएनए (राज्य नामित एजेंसियों) को आवंटन किया गया है जिनमें से 13 राज्य एजेंसियों ने कुल 2.091 मि.ट. मात्रा के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर किए हैं।

7. कोयले की ई–नीलामी

कोल इंडिया लिमिटेडः एनसीडीपी प्रावधान के अनुसार कोयले की बिक्री बाजार निर्धारित मूल्य पर इलैक्ट्रोनिक नीलामी (ई–नीलामी) के जरिए नियमित आधार पर की जा रही है। वर्तमान में सीआईएल निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ई–नीलामी कर रहा हैः

- स्पॉट ई–नीलामीः इस योजना के अंतर्गत, कोई भी भारतीय खरीदार अपनी स्वयं की खपत या ट्रेडिंग के लिए सरल और पारदर्शी ढंग से उपभोक्ता अनुकूल एकल खिड़की के माध्यम से कोयला खरीद सकते हैं। स्पॉट ई–नीलामी नवंबर, 2007 से चल रही है।
- विशेष स्पॉट ई–नीलामीः विशेष स्पॉट ई–नीलामी की शुरुआत 2015–16 के दौरान की गई थी। ट्रेडर्स सहित कोई भी भारतीय खरीदार उठान की लंबी वैध अवधि के साथ विशेष स्पॉट ई–नीलामी के तहत कोयला खरीद सकते हैं।
- विशेष फॉरवर्ड ई–नीलामीः विशेष फॉरवर्ड ई–नीलामी वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी, ताकि विद्युत उत्पादकों को उदार उठान अवधि के साथ कोयला उपलब्ध हो सके।
- विशेष ई–नीलामीः विशेष ई–नीलामी सीपीपी सहित गैर–विद्युत उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी जिसमें उठान की उदार अवधि है।
- आयात प्रतिस्थापन के लिए विशिष्ट स्पॉट ई–नीलामीः 'आत्म निर्भरता' के अनुसरण में आयातों पर देश की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 के दौरान आयात प्रतिस्थापन (केवल कोयला आयातकों हेतु) के लिए विशिष्ट स्पॉट ई–नीलामी स्कीम 2020 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत कोई भी भारतीय कोयला आयातक (व्यापारी सहित) उठान की उदार अवधि के साथ कोयला प्राप्त कर सकता है।

8. वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 (नवंबर, 21 तक) तक आयोजित नीलामी निम्नानुसार है:

नीलामी	स्पॉट	विद्युत के लिए विशेष फॉरवर्ड	गैर–विद्युत के लिए विशेष	विशेष स्पॉट	आयात प्रतिस्थापन के लिए विशेष स्पॉट	कुल
(जनवरी 2021–नवंबर 2021)						
आवंटित कुल मात्रा (मि. टन में)	33.0	40.7	34.7	4.0	2.6	115.1
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपये में)	5252	3692	4341	563	561	14410
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपए में)	8046	4640	5640	910	815	20052
अधिसूचित मूल्य की तुलना में वृद्धि (% में)	53%	26%	30%	62%	45%	39%
2020–21						
आवंटित कुल मात्रा (मि.टन में)	42.5	39.3	31.2	3.4	7.5	124.0
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपये में)	6576.5	3494.8	4360.8	548.2	1352.8	16333.1
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपए में)	8243.5	3774.9	4910.3	617.8	1590.0	19136.4
अधिसूचित मूल्य की तुलना में वृद्धि (% में)	25%	8%	13%	13%	18%	17%

9. विद्युत के लिए विशेष नीलामी:

विद्युत उत्पादकों के लिए विशेष फारवर्ड ई–नीलामी वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी जिसे उन उपभोक्ताओं को जिन्हें कोयले की आवश्यकता थी, को कोयला उपलब्ध कराने हेतु जारी रखा गया है। अप्रैल–नवंबर, 2021 के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं को लगभग 24.43 मि.ट. कोयला आवंटित किया गया था।

10. गैर–विद्युत के लिए विशेष नीलामी:

गैर–विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विशेष ई–नीलामी स्कीम को वर्ष 2015–16 में शुरु किया गया था ताकि गैर–विद्युत उपभोक्ताओं (सीपीपी सहित) को कोयला उपलब्ध कराया जा सके और इसे जारी रखा गया है। अप्रैल–नवंबर, 2021 के दौरान गैर विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की 23.33 मि.ट. मात्रा आवंटित की गई थी।

11. एससीसीएल में कोयले की ई–नीलामी:

एससीसीएल ने कोयले की स्पॉट ई–नीलामी दिसंबर, 2007 में शुरू की है। वर्ष 2020–21 और 2021–22 (नवंबर, 21 तक) के दौरान आयोजित स्पॉट ई–नीलामी इस प्रकार हैं:

स्पॉट ई–नीलामी	2020–21	2021.22 (अप्रैल से नवं. 21 तक)
आवंटित कुल मात्रा (मि.ट. में)	0.75	1.53
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपये में)	19.75	40.17
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपए में)	20.64	48.20
अधिसूचित मूल्य की तुलना में वृद्धि (% में)	4	19.99

12. परिवहन के साधन

कोल इंडिया लिमिटेड

सीआईएल में कोयले और कोयला उत्पादों के परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, मैरीगोराउंड पद्धति (एमजीआर), कन्वेयर बैल्ट और मल्टी मॉडल रेल एवं समुद्री मार्ग हैं। जनवरी, 2021 से नवंबर, 2021 के दौरान कोयला और कोयला उत्पादों की कुल ढुलाई में परिवहन के इन साधनों का अनुमानित योगदान नीचे दर्शाया गया है :

क्र सं.	परिवहन के साधन	शेयर %
1	रेलवे (रेल–सह–समुद्र सहित)	56
2	सड़क	26
3	एमजीआर	16
4	बैल्ट–कन्वेअर्स/रोपवेज	2

एससीसीएल

एससीसीएल में कोयले की ढुलाई के महत्वपूर्ण माध्यम रेलवे, सड़क, एनटीपीसी मैरी–गो–राउंड सिस्टम (एमजीआर) है। एरियल रोपवे द्वारा हेवी वाटर प्लांट के लिए कम कोयले की ढुलाई की जा रही है। जनवरी–नवंबर, 2021 के दौरान कोयले की कुल ढुलाई में ढुलाई के इन माध्यमों के शेयर का अनुमानित ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	माध्यम	मात्रा मिलियन टन में	शेयर (%)
1	रेलवे (आरसीआर सहित)	41.80	70.61
2	सड़क	10.57	17.85
3	एमजीआर	6.35	10.73
4	रोप	0.48	0.81
	कुल	59.20	100.00

13. नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अंतर्गत हुई प्रगतिः

अक्टूबर, 2007 में नई कोयला वितरण नीति लागू होने से पहले, उपभोक्ताओं को मोटे तौर पर दो श्रेणियों, कोर और नॉन–कोर सेक्टर में वर्गीकृत किया गया था। उपभोक्ताओं को पहले वर्गीकृत करने का आधार पूरी तरह से आर्थिक विकास में उनकी भूमिका पर आधारित था। तथापि, नई कोयला वितरण नीति के तहत उपभोक्ताओं के पूर्ववर्ती वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।

इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र/उपभोक्ता को मेरिट के आधार पर तथा उनके लिए लागू विनियामक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए चुना गया है।

विद्युत, सीमेंट एवं स्पांज आयरन क्षेत्र के लिए स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधिक) को उनकी कोयले की आवश्यकता के बारे में संस्तुति करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। ऐसी संस्तुति के आधार पर सीआईएल में आश्वासन पत्र संबंधी समिति (सीएलओए) कोयले की मात्रा का कंपनी–वार आबंटन करती है। कोयला कंपनियां आश्वासन पत्र जारी करती हैं जिसमें कोयला आपूर्ति हेतु ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के लिए पात्र बनने के लिए एलओए धारक को निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली विशिष्ट उपलब्धियां दी गई होती हैं। वर्तमान सभी वैध उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति को विधिक रूप से ईंधन आपूर्ति करार के अंतर्गत लाया गया है।

एनसीडीपी के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सीआईएल द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क. लिंकेज प्रणाली को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) से बदला गया था। अक्टूबर, 2007 में एनसीडीपी लागू होने के पश्चात मौजूदा उपभोक्ताओं के साथ 2008 में एफएसए पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन एफएसए की अवधि 5 वर्षों के लिए थी, अधिकांश एफएसए समाप्त हो गए। उनमें से कुछ नवीकृत हो गए हैं अथवा नवीकरण की प्रक्रिया में हैं। आज की तारीख में इन एफएसए में से, कोयला कंपनियों के पास विद्युत उपयोगिताओं के अलावा अन्य श्रेणियों में लगभग 140 एफएसए हैं।

एनसीडीपी के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2020 तक निष्पादित किए गए गैर–विद्युत एफएसए (मौजूदा और एनएओ रूट दोनों के तहत) की क्षेत्रवार स्थिति (अनंतिम) निम्नानुसार है:–

क्षेत्र	मौजूदा (पूर्व एनसीडीपी)	एलओए के माध्यम से	कुल
सीपीपी	-	5	5
स्पांज आयरन	-	1	1
सीमेंट	-	1	1
अन्य	-	1	1
कुल सीआईएल	**-**	**8**	**8**

'ये एफएसए चालू वित्त वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाएंगे। उपभोक्ताओं के पास एनआरएस लिंकेज नीलामी मार्ग के माध्यम से लिंकेज प्राप्त करने का विकल्प होगा।

उपरोक्त के अलावा, लगभग 14 मि.ट. के एसीक्यू के लिए 23 सीपीएसयू इकाइयों का लिंकेज विद्यमान है जो एनआरएस नीति दिनांक 15.2.2016 के अनुसार पांच (5) वर्ष के आधार पर नवीकरणीय है।

ख. कैलेंडर वर्ष 2017 में एनसीडीपी के तहत गैर–विद्युत क्षेत्र के लिए कोई नया एफएसए निष्पादित नहीं किया गया है तथापि, गैर–विनियमित क्षेत्र के लिए कोल लिंकेज/एलओए की नीलामी के तहत निष्पादित एफएसए अलग से दिए गए हैं।

ग. विद्युत सेक्टर के लिए, 2009 से पूर्व टीपीपी के तहत 121 एफएसए आज की तारीख में मान्य हैं।

घ. राष्ट्रपति के दिनांक 17.07.2013 के निर्देशों के अनुसार, सीआईएल को 78535 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 173 टीपीपी के साथ एफएसए हस्ताक्षरित करने थे, इनमें से 24 मामले टैपरिंग लिंकेजिस के तहत कवर किए गए थे, जो अब अस्तित्व में नहीं हैं।

ड. एनसीडीपी विद्युत संयंत्रों के बाद मान्य एफएसए की संख्या 143 है, जिनकी कुल क्षमता वार्षिक संविदाकृत मात्रा (एसीक्यू) 227 मि.ट. के लिए 66625 मेगावाट है।

च. राष्ट्रपति के दिनांक 17.07.2013 के निर्देश के तहत कोई नये एफएसए हस्ताक्षरित नहीं किए गए हैं। तथापि, पीपीए की प्रस्तुति के कारण, एफएसए मात्रा 218.55 मि. ट. की पूर्व मात्रा से बढ़कर 227 मि.ट. हो गई है।

14. एनसीडीपी के अलावा नई नीतियां

गैर–नियमित क्षेत्र उपभोक्ताओं के लिए लिंकेज नीलामी

सीआईएल कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 15.02.2016 के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–नियमित क्षेत्र के तहत स्पॉन्ज आयरन, सीमेंट, सीपीपी, 'अन्य (नॉन–कोकिंग)', इस्पात (कोकिंग) और 'अन्य (कोकिंग)' के लिए कोल लिंकेज की नीलामी करती आ रही है। नीलामी के चार चरण पहले ही समाप्त हो चुके हैं जिसके द्वारा गैर–विद्युत अधिसूचित मूल्य की तुलना में लगभग 20% के औसत प्रीमियम पर 80.5 एमटीपीए वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किए गए हैं।

5वां दौर चल रहा है। इस्पात (कोकिंग), स्पॉन्ज आयरन और सीमेंट उप–क्षेत्रों की नीलामियां पूरी कर ली गई हैं और गैर–विद्युत अधिसूचित मूल्य की तुलना में 16% के औसत प्रीमियम पर 8.44 मि.ट. की मात्रा सफलतापूर्वक बुक की गई है। सीपीपी उप–क्षेत्र के लिए नीलामी जारी है जिसके बाद अन्य (गैर–कोकिंग) और अन्य (कोकिंग) उप–क्षेत्रों की नीलामी होगी। दिनांक 30.11.2021 तक सीपीपी लिंकेज नीलामी के चल रहे पांचवे दौर के तहत कुल 30.8 मि.ट. की बुकिंग की गई है।

निष्पादन रिपोर्ट नीचे दी गई है:–

उप–क्षेत्र	दौर - I	दौर - II	दौर -III	दौर -IV	कुल दौर- I से IV		दौर - V	
	बुक की गई मात्रा (मि.ट. प्र.वर्ष)	बुक की गई मात्रा (मि.ट. प्र.वर्ष)	बुक की गई मात्रा (मि.ट. प्र.वर्ष)	बुक की गई मात्रा (मि.ट. प्र.वर्ष)	बुक की गई मात्रा (मि.ट. प्र.वर्ष)	गैर विद्युत के लिए अधिसूचित मूल्य की तुलना में लाभ का %	बुक की गई मात्रा (मि.ट. प्र.वर्ष)	गैर विद्युत के लिए अधिसूचित मूल्य की तुलना में लाभ का %
इस्पात (कोकिंग)	--	0.22	0.00	0.65	0.87	0.1%	1.30	0.0%
स्पंज आयरन	2.05	4.29	2.54	6.37	15.25	19.8%	4.19	19.2%
सीमेंट	0.68	0.77	0.12	4.26	5.83	19.2%	2.95	25%
सीपीपी	18.07	8.18	4.59	15.90	46.75	18.7%	चल रही है	
अन्य	1.34	1.27	0.67	6.00	9.28	34.2%	आयोजित की जानी है	
अन्य (कोकिंग)	--	0.04	0.36	2.17	2.57	16.1%	आयोजित की जानी है	
कुल	**22.14**	**14.76**	**8.28**	**35.35**	**80.53**	**20.2%**	**39.24**	**15.7%**

शक्ति के तहत विद्युत क्षेत्र को कोयला लिंकेज

सरकार ने मौजूदा आश्वासन पत्र (एलओए) – ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पद्धति को खत्म करने की मंजूरी दी और भारत में पारदर्शी रूप से कोयले (कोयला) के दोहन और आवंटन संबंधी योजना (शक्ति), 2017 की शुरुआत की, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 22.05.2017 को जारी किया गया था। सरकार ने शक्ति नीति, 2017 में संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.03.2019 को जारी किया गया था। शक्ति नीति की मुख्य विशेषताएं (जैसा कि इसके विभिन्न पैराओं के अंतर्गत विवरण दिया गया है) इस प्रकार हैं:

अब तक, नीति के विभिन्न पैराओं के तहत निम्नलिखित क्षमताओं को कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है: (01.12.21 तक की स्थिति के अनुसार)

(i) शक्ति नीति के पैरा क (i) के प्रावधानों के तहत 7,210 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 9 एलओए धारकों को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई है।

(ii) शक्ति नीति के पैरा ख (i) के प्रावधानों के तहत 23 ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को 25340 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए लिंकेज प्रदान किया गया है।

(iii) शक्ति नीति के ख (ii) के तहत लिंकेज नीलामी का पहला दौर सितंबर, 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 9,045 मेगावाट क्षमता के लिए दस सफल बोलीदाताओं द्वारा 27.18 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किया गया था। मई, 2019 में आयोजित दूसरे दौर में, लगभग 874.9 मेगावाट क्षमता के लिए आठ बोलीदाताओं द्वारा 2.97 एमटीपीए लिंकेज की मात्रा बुक की गई है। तीसरे दौर में, मई, 2020 के दौरान पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा नीलामी आयोजित की गई है, जहां 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 2.8 एमटीपीए लिंकेज बुक किए गए हैं। पीएफसीसीएल द्वारा सितंबर, 2021 में चौथे दौर की लिंकेज नीलामी आयोजित की गई है, जहां 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 3.20 एमटीपीए लिंकेज बुक किए गए हैं।

(iv) शक्ति ख (iii) के लिए लिंकेज नीलामी फरवरी, 2020 में आयोजित की गई थी, जहां कुल 11.8 एमटीपीए की कुल पेशकश में से, 6.48 एमटीपीए 7 सफल बोलीदाताओं द्वारा बुक की गई थी।

(v) शक्ति नीति के ख(iv) के तहत लिंकेज के लिए सीआईएल से गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए क्रमशः 4000 मेगावाट, 1600 मेगावाट और 2640 मेगावाट की क्षमता हेतु कोल लिंकेज निर्धारित किया गया है।

(vi) शक्ति नीति के ख(v) के तहत लिंकेज के लिए 2500 मेगावाट की क्षमता के लिए सीआईएल से कोयला लिंकेज निर्धारित किया गया है।

(vii) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शक्ति नीति के ख (viii) (क) के तहत लिंकेज नीलामी के 7 दौर का आयोजन किया गया है। कोयले की पेश की गई कुल 37.52 मि. ट. में से, सफल बोलीदाताओं द्वारा 6.66 मि. ट. की बुकिंग की गई है

15. आयात प्रतिस्थापन

कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर–मंत्रालीय समिति गठित की गई थी। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियां और बंदरगाहों के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। आईएमसी की अब तक 9 बैठकें हो चुकी हैं। आईएमसी के निर्देश पर, कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डेटा सिस्टम विकसित किया गया है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात पर नजर रख सके। कोयले की अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोयला आयात प्रतिस्थापन के कार्य को अगले स्तर तक ले जाने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड को 2023–24 तक शून्य कोयला आयात मिशन की योजना बनाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार, पूरे प्रतिस्थापन योग्य आयातित कोयले की पूर्ति देश द्वारा की जानी चाहिए और अति आवश्यक के अलावा कोई आयात नहीं होना चाहिए।

घरेलू और आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों दोनों के लिए बिजली क्षेत्र द्वारा कोयला आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल–अक्टूबर, 2021 की अवधि के दौरान 32% कम हो गया है।

16. कोयला उपभोक्ता परिषद

उपभोक्ताओं की शिकायतों की मॉनीटरिंग तथा निवारण करने के लिए प्रत्येक कोयला कंपनी में क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषदों की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने हेतु सीआईएल (मुख्यालय) में राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद की स्थापना की गई थी। यदि शिकायतों पर जवाब एक माह के भीतर प्राप्त नहीं होता है अथवा शिकायतकर्ता कोयला कंपनी द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उस मामले को राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद के पास भेजा जा सकता है। इन परिषदों का पुर्नगठन पिछली बार वर्ष 2010–11 के दौरान किया गया था।

तकनीकी नवाचारों और संचार के नए तरीकों को ध्यान में रखते हुए, कुछ वर्ष पहले शिकायतों के ई–फाइलिंग की सुविधा के लिए सीआईएल द्वारा ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ओएलजीएमएस) शुरू की गई थी। इस तरह के उद्देश्य के लिए एक कस्टमाइज्ड वेबसाइट विकसित की गई थी। इसके बाद, सीआईएल ने केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को अनुकूलित बनाया जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित की गई थी। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में सीपीजीआरएएमएस के पीजी पोर्टल का उपयोग शिकायतों की प्राप्ति और निपटान के लिए एकल खिड़की के रूप में किया जाता है। सीपीजीआरएएमएस के सफलतापूर्वक अनुकूलन के बाद, कार्य के दोहराव से बचने के लिए ओएलजीएमएस को हटा दिया गया था। नोडल अधिकारियों की सूची और उनके संपर्क ब्यौरे के साथ वेब साईट में पीजी पोर्टल के लिए लिंक प्रदान किया गया है। शीघ्र प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारियों को शामिल करते हुए एक वट्सअप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें मुद्दों और प्रस्तावित समाधानों पर चर्चा की जा सकती है। साप्ताहिक आधार पर प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को शामिल करते हुए शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) द्वारा शिकायतों और इनके उत्तर की निगरानी नियमित रूप से की जाती है। बिना किसी देरी के शिकायतों का निवारण करने के लिए कार्रवाई की जाती है और इसके परिणाम को पोर्टल में पोस्ट किया जाता है। जहां कहीं भी अंतरिम उत्तर अपेक्षित होता है, ऐसा उत्तर शिकायतकर्ता को भी भेजा जाता है।

कोयला कंपनियों से संबधित शिकायतों के मामले में, नोडल अधिकारी इन्हें संबंधित कोयला कंपनियों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने/कार्रवाई के लिए भेज देते हैं। टिप्पणियों/स्थिति प्राप्त होने के बाद जल्द ही शिकायतकर्ता को उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया जाता है, इस प्रकार मुद्दे का निपटान किया जाता है। यदि ये मुद्दे सीआईएल के कुछ अन्य विभाग के कार्य से संबंधित होते हैं, तो इसे संबंधित विभाग को भेजा जाता है। इस प्रकार ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का निपटान किया जा रहा है और उपर्युक्त सिस्टम के तहत इन शिकायतों का शीघ्रता और दक्षता से निपटान किया जाता है।